न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 13 / 2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

कालू मुतबन्ना गणेश बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी— धुंवाला (क) तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

1. करमी पुत्री श्री गणेश बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी— धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) हाल निवासी— काछबली तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)
2. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री मांगी लाल बलाई आयु वयस्क निवासी— कुण्डेली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
4. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

श्री मुकेश कुमार जैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण

बन्टू सिह चुण्डावत — अधिवक्ता वि.सं. 1 व 2

:: आदेश ::

दिनांक— 22 / 10 / 2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वादपत्र धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

ा पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि सरहद धुंवाला (क) पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) में भाग– अ खाता संख्या 212 दो सौ बारह मे आराजी नम्बर 273 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.1138 हैक्टयर, आराजी नम्बर 280 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 800 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 801 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 87 रकबा 0.3794 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1.2647 हैक्टयर, भाग–ब खाता संख्या 209 में आराजी नम्बर 272 रकबा 0.7841 हैक्टयर, आराजी नम्बर 3382/308 रकबा 0.1012 हैक्टयर कुल 0.8853 हैक्टयर, भाग– स खाता संख्या 24 में आराजी नम्बर 129 रकबा 1.7831 हैक्टयर इसी प्रकार सरहद मियापलास का खेड़ा पटवार हल्का धुंवाला (क) भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) में आराजी नम्बर 2576 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2577 रकबा 0.3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2578 रकबा 0.6450 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2579 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2580 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.5555 हैक्टयर स्थित है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 दो एवं 03 तीन में वर्णित आराजियात जो कि प्रार्थी की गोदमाता व विपक्षी संख्या 01 की माता श्रीमती देऊ पत्नी श्री गणेश बलाई की स्वअर्जित भूमि होकर प्रार्थी की माता श्रीमती देऊ को पुत्र की विरासत से प्राप्त हुई है, श्रीमती देऊ द्वारा प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 की सेवा सुश्रुषा की गयी , जिससे प्रसन्न होकर प्रार्थी को दिनाक 09 नो जुलाई 1991 उन्नीस सो इकरानवे को प्रार्थी को वसीयत की गयी व एक वसीयत नामा 10/– रूपये के स्टाम्प पर मौतबीरान की उपस्थिति में निष्पादित किया गया। प्रार्थी की माता श्रीमती देऊ की मृत्यु उपरान्त उनका सारा सामाजिक काज कियावर प्रार्थी द्वारा ही किया गया व वसीयत के आधार पर उक्त भूमि में देऊ के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व आज भी प्रार्थी ही काबिज है। विपक्षी संख्या 01 एक जो कि प्रार्थी की बहिन है , जो कि अपने ससुराल ही रहती है तथा विपक्षी संख्या 01 एक का उक्त आराजियात पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व न ही है। आज भी प्रार्थी ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व विपक्षी संख्या 01 को देऊ

सहायक कलक्टर

रा निष्पादित वसीयत की जानकारी थी व आश्वान दिया कि वादग्रस्त आराजियात का नान्तरणकरण पुनः प्रार्थी के नाम पर दर्ज करवा देंगे। प्रार्थी जो कि वसीयत के आधार पर ऊ की भूमि का एकमात्र मालिक व काबिज है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 क का नाम दर्ज हो गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 एक को उक्त भूमि प्रार्थी के ाम पर पुनः दर्ज कराने हेतु कहने पर बार बार विश्वास दिलाती रही व कहती रही कि उक्त मीन तुम्हारी ही है, तुम्हे चिन्ता करने की कोई जरूरत नही है। विपक्षी संख्या 01 एक जो क वृद्व है तथा उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नही रह पाने से अन्य की सिखावट एवं हकावे मे आकर विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर उक्त भूमि गलत तौर पर दर्ज होने से उक्त आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने पर आमादा है। दिनांक 05 पांच जनवरी 2023 दो हजार तैवीस को विपक्षी संख्या 01 एक एवं 02 अपने साथ कुछ अजनबी यक्तियो को लेकर वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी को उनके हक हिस्से से बेदखल करने लगे व विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा प्रार्थी को कहा कि मैने मेरे नाम पर दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्सा अपनी बेटी विपक्षी संख्या 02 के नाम पर जरिये नुमाईशी बक्षीस आदि करा दी है, इस कारण से तुम्हे उक्त आराजीयात को बेदखल करके रहेगे व आराजियात को खुर्द बुर्द करके रहेगे। जबकि उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 01 का कोई हक अधिकार नही होने व विपक्षी संख्या 01 एक का हक हिस्सा प्रार्थी के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार कर दिया। जबकि विपक्षी संख्या 01 एक को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। यदि विपक्षी संख्या 01 एक एवं 02 मिलकर प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व विपक्षीगण के नाम पर भूमि दर्ज होने व विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में दस्तावेज निष्पादन की आड़ में उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है विपक्षीगण प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

करावे। वादी प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है ओर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी वादी के क्ष मे है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी यी और विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगा आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/ खुर्द बुर्द कर देगा तो वादी र्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 की माता देऊ को अपने पुत्र की विरासत से प्राप्त होकर स्वअर्जित है, जो कि प्रार्थी को वसीयत की गयी व देऊ की मृत्यु के बाद प्रार्थी ही एकमात्र मालिक है, जिसमें विपक्षी संख्या 01 का कोई हक अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 01 का कोई हक हिस्सा नहीं होते हुए उसका गलत तौर पर नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादी की भूमि को हड़पने की नियत से नुमाईशी तोर पर उक्त अपनी पुत्री के नाम पर बक्षीसनामा कराया गया है। जिससे विपक्षी संख्या 01 एंव 02 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त सम्पति का प्रार्थी मालिक है व कब्जा भी प्रार्थी का ही है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला है ओर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है और विपक्षीगण प्रार्थी को मौके से बेदखल करने व आराजी को अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण करने पर आमादा है। प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगे व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/ खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमे मुख्य उजर उजर बख्क्षीसपत्र आदि दस्तावेज को अवैध व शून्य घौषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय का होने व वादपत्र मियाद बाहर होने व नामान्तरणकरण को चेलेज नही करना बताया है व प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गयी व निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये—

1— प्यारे लाल बनाम सुभेन्द्रा पिलानिया (सुप्रीम कोर्ट) दिनांक 29/01/2019

Vgury

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़

2– ए.आई.आर. 2016 पेज 95 से 98 लायक राम वनाम धर्मावती व अन्य

3– धारा 88 ,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की विवेचना

4– आरआरटी 2024(1) ओमप्रकाश वनाम दीपाराम पेज नम्बर 305, 30

5– न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–02 भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 28/2013 ई0दी0 मनकुंवर बनाम चावण्ड सिंह व अन्य निर्णय दिंनाक 13/03/2024

6– आर.बी.जे. (27)2020 ममता डांगी बनाम भैरू लाल डांगी पेज नम्बर 69 से 75

7– आरबीजे (29) 2022 पेज नम्बर 762 से 765 माफी खिदमत दरगाह वनाम ललिता बाई व अन्य

8– आरआरटी 2023 (2) पेज नम्बर 1303 से 1307 शुभराज सिंह वनाम वीरेन्द्र सिंह

9– डी.एन.जे 2021 (2) (आरईवी) पेज नम्बर 997 से 999 मिश्रो देवी बनाम सुभाष व अन्य

10–तृतीय अनुसूची राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

क्त न्यायिक दृष्टान्त को शामिल पत्रावली किया गया।

स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय गत है–

- **प्रथम दृष्टया मामला**
- **सुविधा संतुलन**
- **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की नकले की गयी व साथ ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार वादग्रस्त राजियात जो कि देऊ को उसके पुत्र के जरिये प्राप्त होकर उसकी स्वअर्जित भूमि व उक्त भूमि जो कि देऊ द्वारा प्रार्थी को वसीयत की गयी व वसीयत के आधार पर की मृत्यु उपरान्त प्रार्थी काबिज है व साथ ही प्रार्थी द्वारा घौषणात्मक वाद पेश या गया, जिसमे दोनो पक्षो की साक्ष्य के आधार पर प्रकरण मे हक हिस्सा का

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

...रित होगा व विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपनी पुत्री को वादग्रस्त आराजियात जरिये ...सीत की है व वसीयत के आधार पर प्रार्थी का हक हिस्सा बनता है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित होता है। उक्त भूमि को अन्तरण आदि होने व प्रार्थी का बेदखल करने से प्रार्थीया को क्षति हो सकती है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन– उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी का ही बताया गया है। अपना कब्जा होना बताया गया है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित होने से व उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने व आराजियात को खुर्द बुर्द करने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

प्रार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है, जिसका अवलोकन किया गया, जो प्रकरण मे चस्पा होता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाती है कि विपक्षीगण सरहद धुंवाला (क) पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ...गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे भाग– अ खाता संख्या 212 दो सौ बारह ... आराजी नम्बर 273 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.1138 हैक्टयर, ...राजी नम्बर 280 रकबा 0.4300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 800 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी ...म्बर 801 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 87 रकबा 0.3794 हैक्टयर कुल किता 06 ...कबा 1.2647 हैक्टयर, भाग–ब खाता संख्या 209 में आराजी नम्बर 272 रकबा 0.7841

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

हेक्टेयर, आराजी नम्बर 3382/308 रकबा 0.1012 हैक्टयर कुल 0.8853 हैक्टयर, भाग– स
ता संख्या 24 में आराजी नम्बर 129 रकबा 1.7831 हैक्टयर इसी प्रकार सरहद मियापलास
खेड़ा पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला
लवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 2576 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2577 रकबा
3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2578 रकबा 0.6450 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2579 रकबा 0.
103 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2580 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.5555
क्टयर भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें व प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा
ही करे व उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, विकय, हसतांतरण नही करे व किसी प्रकार
ग दस्तावेज पंजीयन नही करावे व विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

यह आदेश आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)